

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-04/2021- 1358 व०प०, राँची, दिनांक- 25/05/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

विषय :- 33/11 K.V. पदमा सबस्टेशन से नचनवे सबस्टेशन तक 33 K.V. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-7.608 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-431 दिनांक-18.03.2021 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-684 दिनांक-25.03.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

- विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-
- वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
 - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
 - प्रस्तावित वनभूमि के दोगुने अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
 - चूँकि प्रभावित क्षेत्र में हाथियों के आवागमन की निरंतरता प्रतिवेदित है, अतः संचरण लाईन या तो भूमिगत हो या इसमें Insulated Aerial Bundled Cables का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों से मंत्रणा करते हुए Site-specific Wildlife Conservation Plan (SSWCP) का सूत्रण तथा इसका ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - जमीन के सतह से संचरण लाईन की ऊँचाई कम से कम 10.5 मीटर प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।
 - चूँकि प्रभावित क्षेत्र अतिशय भू-क्षरण से प्रभावित है, अतः प्रोजेक्ट के sphere of influence में भू एवं जल संरक्षण का कार्य संपादित किया जाना अपेक्षित होगा। उक्त कार्य Site-specific Wildlife Conservation Plan (SSWCP) में सम्मिलित किए जा सकते हैं।
 - अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-04/2021- 1358 व०प०, राँची, दिनांक- 25/05/2021
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-वन भूमि-04/2021- 1358 व०प०, राँची, दिनांक- 25/05/2021 विशेष कार्य पदाधिकारी
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-वन भूमि-04/2021- 1358 व०प०, राँची, दिनांक- 25/05/2021 विशेष कार्य पदाधिकारी
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ विद्युत कार्यपालक अभियंता(परियोजना), विद्युत आपूर्ति मण्डल,
हजारीबाग, झारखण्ड-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 7.608 ha of Forest Land for Construction of 33 K.V Transmission line from Vill-Padma to Vill-Nachanve under DDUGJY in Hazaribagh West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 7.608 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no 1358 dated 25/05/2021.

Signature:

Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)

Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi